Uploaded on Website

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर
(जी-3, राजमहल रेजीडेन्सी एरिया, सिविल लाईन फाटक, 22 गोदाम, जयपुर)

क्रमांकःप.1(क)( )कार्मिक/आर.एम.एस./डी.एल.बी./17/ 11204 दिनांक : 17-10-17

परिपत्र

राजस्थान नगर पालिका सेवा के स्थानान्तरण/पदस्थापन आदेश राज्य सरकार द्वारा सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त जारी किये जाते है। प्रायः यह देखा गया है कि महापौर/सभापति/अध्यक्ष द्वारा नगरीय निकाय में पदस्थापित राजस्थान नगर पालिका सेवा के अधिकारियों को कार्यमुक्त कर निदेशालय भिजवा दिया जाता है। जबकि इस प्रकार राज्य सरकार द्वारा पदस्थापित राजस्थान नगर पालिका सेवा के अधिकारी को कार्यमुक्त करने में महापौर/ सभापति/अध्यक्ष सक्षम नही है।

अतः इस सम्बन्ध में निर्देश दिये जाते है कि राज्य सरकार द्वारा पदस्थापित राजस्थान नगर पालिका सेवा के अधिकारियों को कार्यमुक्त कर निदेशालय में नही भिजवाया जावे। यदि किसी महापौर/सभापति/अध्यक्ष द्वारा ऐसा कृत्य किया जाता है, जो उनके विरूद्व राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 2009 के प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जावेगी।

यदि किन्ही कारणों से राजस्थान नगर पालिका सेवा के अधिकारियों के कार्य से आप सन्तुष्ट नही है, तो इस संबंध में राज्य सरकार से पत्र-व्यवहार करने का श्रम करें, ताकि प्रकरण में अग्रिम उचित कार्यवाही की जा सके।

(पवन अरोडा)
निदेशक एवं संयुक्त सचिव

क्रमांकःप.1(क)( )कार्मिक/आर.एम.एस./डी.एल.बी/17/11205-628 दिनांक : 17-10-17
प्रतिलिपी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

01. विशिष्ट सहायक, मा0 मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।
02. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।
03. जिला कलक्टर, समस्त राजस्थान।
04. उप निदेशक (क्षैत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, समस्त राजस्थान।
05. महापौर/सभापति/अध्यक्ष, नगर निगम/परिषद/पालिकाऐं समस्त राजस्थान।
06. आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी, नगर निगम/परिषद/पालिकाऐं समस्त राजस्थान।
07. सुरक्षित पत्रावली।

(मुकेश कुमार मीणा)
अतिरिक्त निदेशक